



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ

दूरभाष : 0522-2288656, फ़ैक्स : 0522-2288655

E-Mail - cehydelpcl@gmail.com

संख्या 1079/अनु०-05/ मु.अ.(हा.)/का.सहा.-3/2019

दिनांक : 28/08/2019

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के पत्र संख्या-1535-विसेआ/01/विसेआ-2017/संशोधित, दिनांक 11.07.2019 द्वारा सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनोपरान्त उपलब्ध कराए गए अधोनामित कार्यालय सहायक-तृतीय (वर्तमान में कारपोरेशन के आदेश सं.-102-ज.श.एवं प्र.सु.-01/पाकालि/2019-4/एमपीआई/97-टी.सी.-1, दि. 29.01.2019 द्वारा परिवर्तित पदनाम कार्यकारी सहायक) के अभ्यर्थियों को वेतनमान रु. 5200-20200 (वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में न्यूनतम वेतन रु. 27,200-00) में निम्न प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित कार्यालय में निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

Sl. No.	App. No.	Roll No.	Applicant Name	Father's Name	DOB	Category	Selected As	Home District	Alloted Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	314512	24022604040	श्री शशि प्रकाश राय	श्री लालता राय	12/01/1978	General (Unreserved)	UR	वाराणसी	मु०अभि० (हाइडिल) लखनऊ
2	192089	19042600883	श्री जितेन्द्र कुमार	श्री नन्दलाल प्रसाद	12/06/1992	SC	SC	लखनऊ	मु०अभि० (हाइडिल) लखनऊ

उपरोक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गमित किए जा रहे हैं :-

- उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतया अनन्तिम एवं अस्थायी है । इनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए और बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं । प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अभ्यर्थी को उनके चरित्र तथा पूर्णवृत्त का सत्यापन कराए जाने पर कारपोरेशन की सेवाओं के लिए अनुपयुक्त पाया गया, तो उनकी सेवाएं बिना कोई नोटिस दिए तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी ।
- यह नियुक्ति प्रोवेशन (परिवीक्षा) पर दो वर्ष के लिए होंगी तथा इस अवधि में कार्य एवं व्यवहार संतोषनक न पाए जाने की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।
- अभ्यर्थियों की नियुक्ति उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. की लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालयों एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों) की विनियमावली-1970 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य विनियमों की सेवा शर्तों से आवरित रहेंगी ।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरीयता उनके द्वारा तैनाती कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त संगत विनियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी ।
- आवश्यकता पड़ने पर उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कारपोरेशन कार्यहित में अन्य कहीं भी मुख्य अभियन्ता संवर्ग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

उपरोक्त अभ्यर्थियों को विलम्बतः दि० 28.09.2019 तक अपने नव नियुक्त कार्यालय में पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएंगे तथा उनके नियुक्ति आदेश को निष्प्रभावी घोषित करने के सम्बन्ध में अलग से कोई आदेश निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की पदभार ग्रहण सूचना संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-ज) में स्वीकार की जायेगी। अपनी पदभार ग्रहण सूचना के साथ अधोलिखित अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा आपकी पदभार ग्रहण सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी :-

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र (मूलरूप में)
2. अनुलग्नक-क में उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. की सेवा में अपने रिश्तेदारों के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
3. अनुलग्नक-ख में कर्जदार नहीं होने की घोषणा।
4. अनुलग्नक-ग में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा।
5. अनुलग्नक-घ में सत्यनिष्ठा के साथ कारपोरेशन की सेवा करने के सम्बन्ध में घोषणा।
6. अनुलग्नक-ड में स्वयं अथवा उसके परिवार के आश्रितों द्वारा अर्जित चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में घोषणा।
7. अनुलग्नक-च में केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध राजनैतिक पार्टियों/संगठन का सदस्य न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
8. अन्तिम शिक्षा संस्था के प्राचार्य/अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र (मूलरूप में)।
10. अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग का सदस्य होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-छ)
11. हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
12. इण्टरमीडिएट एवं स्नातक शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
13. अपने परिवार के सदस्यों का विवरण संलग्न प्रपत्र के अनुसार।
14. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि., लखनऊ के ज्ञाप सं.-615-पे एंड आर-29/पाकालि/2008-8-काविनी/2001, दि. 22.02.2002 एवं तत्सम्बन्धी सपटित आदेशों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना/तत्सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या-1079-(1)-अ-5/तददिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का.प्रब. एवं प्रशा.) महोदय के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।

(आर.सी.मौर्य)

वैयक्तिक सहायक (तृतीय)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या-1079-(11)-अ-5/तददिनांक 28.08.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र.पा.का.लि., सरोजनीनगर, लखनऊ ।
2. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ.प्र.पा.का.लि., एस.एल.डी.सी. परिसर, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
3. अधिशासी अभियन्ता (बेव), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ ।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय), कार्यालय मु.अ.(हा.), लखनऊ ।
5. प्रशासनिक अधिकारी अनुभाग-13
6. सम्बन्धित पदधारी ।


28-8-19

(आर.सी.मौर्य)

वैयक्तिक सहायक (तृतीय)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)